

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 2146/11-सी- FP/UP/Others/31584/2018, लखनऊ, दिनांक: जून 10, 2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन),
उ०प्र० शासन,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय:- जनपद आगरा में ग्रीन गैस लिमिटेड, आगरा द्वारा आगरा-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-02 के कि०मी० 206.757 से 213.960 के मध्य (महावीर ढाबा से भगवान फिलिंग स्टेशन) मार्ग की बाईपटरी के किनारे गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु 0.584 हे० संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी०/यू०पी०/०९/४०/२०१९/एफ०सी०/२६३, दिनांक २१.०८.२०१९

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में निहित शर्तों की बिन्दुवार अनुपालन आख्या वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा ने अपने पत्रांक-3190/14-1 दिनांक 20.03.2020 द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एड-हॉक कैम्पा में आनलाईन e-payment portal के माध्यम से ई-चालान द्वारा जमा किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित बिन्दुवार अनुपालन आख्या ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर संलग्नक सहित दो प्रतियों में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयांकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय
1016

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-2146/11-सी- FP/UP/Others/31584/2018, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, आगरा
- 3- उप महाप्रबन्धक, ग्रीन गैस लिमिटेड, संजय प्लेस, आगरा।

1016

(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

OC